न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 07/2019

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
1. देवी सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपुरोहित निवासी सणतरा, बायतु जिला बाड़मेर (मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार गुड़ामालानी बाड़मेर का मुनिम)
2. जसवन्तसिंह पुत्र रतनसिह निवासी मगरा की ढ़ाणीया, पुरोहितान कानोडीया जोधपुर (मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार गुड़ामालानी बाड़मेर का खाद्य अनुज्ञापत्र धारक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री गौरव खत्री, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.07.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 (1) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 एवं 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार गुड़ामालानी बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **08.06.2018** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मिठाई (सोनपापड़ी)** जो कि 450–450 ग्राम के पैक एक कार्टन में भरी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **450–450 ग्राम के 4 सीलबंद पैकेट मिठाई (सोनपापड़ी)** बतौर नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–916** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:53:04 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (सोनपापड़ी)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 14.06.2018 में उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (सोनपापड़ी)** का नमूना को **अवमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbrand)**बताया गया जिसकी अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को परिवाद का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 14.06.2018 में उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (सोनपापड़ी)** के नमूने को **अवमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Misbrand)** स्तर का पाया गया है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जिनको परिवाद का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया। बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रकट किया कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्धारित मानक वेल्यु में बहुत ही न्युन अन्तर आया है तथा इस अन्तर के फलस्वरूप उक्त खाद्य पदार्थ मा[illegible] के उपयोग हेतु किसी भी रूप में हानिकारक या प्रा[illegible] नहीं [illegible] अ[illegible] ने उक्त खाद्य पदार्थ की निर्धारित मानकता के [illegible] में अन[illegible]ता जाहिर की है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अप[illegible] [illegible] गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया हैं क्योंकि जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:53:04 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का हैं। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक एवं मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नही है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 एवं 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 50000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 27.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:53:04 IST
Reason: SelfAttested